

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: स. 27(3)(2)पदो./अभि/2025/31-60


जयपुर, दिनांक:- 19.03.26

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में संस्थापन अधिकारी की वर्ष 2025-26 की विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन(Review) करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर निम्न प्रशासनिक अधिकारियों को संस्थापन अधिकारी (Pay Matrix L-16) के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम मय पिता का नाम सर्वश्री	वर्ग	जन्म तिथि	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया।	वि.वि.
1.	रामावतार मीणा/सर्वसुख	ST	15-01-66	01-04-2025	-
2.	गोपीसहाय मीणा/रामस्वरूप	ST	31-10-68	01-04-2025	-
3.	प्रहलाद लाल मीणा/ओंकारलाल	ST	01-07-66	01-06-2025	UR के विरुद्ध चयनित
4.	जयप्रकाश मीणा/किशोरीलाल	ST	07-02-67	07-10-2025	UR के विरुद्ध चयनित
5.	अनिल कुमार राजपुरोहित/चैनसिंह	UR	03-01-66	26-11-2025	-
6.	श्यामसुन्दर चौधरी/ईश्वरराम	UR	02-09-73	26-11-2025	-
7.	राजेश कुमार चौधरी/माधोराम	UR	07-10-72	26-11-2025	-
8.	प्रदीप कुमार शर्मा/कृष्ण कुमार	UR	01-04-76	26-11-2025	-
9.	कैलाश चंद मीणा/रामजीलाल	ST	02-09-76	26-11-2025	UR के विरुद्ध चयनित
10.	योगेश कुमार गोडवाल/रामेश्वरलाल	SC	26-11-79	01-02-2026	-

उपरोक्त चयनित अधिकारी रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का पात्र है परन्तु पदोन्नति के वास्तविक (नकद) लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे। क्रम संख्या 01 से 03 व 05 को छोड़कर अन्य पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जायेंगे।


(तिरुप्रति कुमार गुप्ता)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक अभियोजन ।
4. उप निदेशक अभियोजन, ।
5. संस्थापन वरिष्ठ शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
6. सम्बन्धित अधिकारी.....द्वारा:-कार्यालयध्यक्ष।
7. रक्षित पत्रावली ।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर